/

रूपवती और ओआरएस।

बनाम

राम किशन और अन्य ।

(सिविल अपील संख्या 6818/2022) 14 अक्टूबर, 2022

/

[हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई-उसकी पत्नी, उसके पुत्र और उसकी माँ द्वारा उसकी ओर से प्रतिकर का दावा-दुर्घटना तब हुई जब मृतक अपने भाई के साथ तिपहिया वाहन पर सवार था-वाहन प्रतिवादी सं। 1, और प्रत्यर्थी संख्या 3 बीमा कंपनी से बीमाकृत किया गया था।3-बीमा कंपनी-न्यायालय की राय थी कि दुर्घटना तिपहिया वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और बीमा कंपनी पर देयता तय की गई-न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की कुल राशि रु। 6,55,000-और ब्याज की दर भी 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई-आयोजितःगुणक का परिवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मृतक की आयु गलत तरीके से 60 के रूप में दर्ज की गई थी और 50 वर्ष पाई गई थी-उच्च न्यायालय ने सही ढंग से मुआवजे का आदेश दिया-उच्च न्यायालय के आदेश को यथावत रखा।

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील संख्या 6818/2022।

एफ. ए. ओ. सं. 6277/2014 (ओ एंड एम) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशों दिनांकित 26.09.2018 से।

/

प्रदीप कुमार कौशिक, डॉ. सुनील कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

रविशंकर झा, मनीष कुमार, गोपाल सिंह, अभिनव सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

561 ए.

562

/

[2022] 13 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सुधांशु धूलिया, न्या .

1. यह अपील दावेदारों की है, जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "न्यायाधिकरण") दिनांक 13.05.2013 के आदेश के विरुद्ध एक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 26.09.2018 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न होती है।

/

2. दुर्घटना आई. डी. 1 पर हुई जब मृतक हरि राम अपने भाई देव प्रसाद के साथ तिपहिया वाहन पर मित्रोल से हरियाणा के पलवल जा रहे थे।वाहन उत्तरदाता नं.1 अर्थात, राम किशन द्वारा चलाया जा रहा था और प्रत्यर्थी सं. 3 (इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) से बीमित था ।यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई और वाहन पलट गया जिसके परिणामस्वरूप हरि राम के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन अगले ही दिन 23.11.2010 कोचोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।उनकी ओर से उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी मां ने दावा याचिका दायर की थी।न्यायाधिकरण की राय थी कि दुर्घटना तिपहिया वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।वाहन का उत्तरदाता संख्या के साथ बीमा किया गया था।3 न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी पर बीमा कंपनी और देयता तय की गई थी।यह पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया गया थाः- ए.

/

/

/	भर्ती के दौरान मृतक के उपचार पर होने वाला खर्च	Rs.13,000/-
/	मृतक हरि राम की	5, 000/- रुपये

	मासिक आय	
/	मृतक की निर्भरता को देखते हुए रूपए 5000 /- की मासिक आय में से एक चौथाई की कटौती करने के बाद यह राशि आती है -	3, 750/- रु.
/	मृतक की वार्षिक आय 12 = आती है	रु. 3,750/- x Rs.45,000/-
/	सरला वर्मा के मामले के अनुसार मृतक की आयु 60 वर्ष को ध्यान में रखते हुए '9' का गुणक x 9 = लागू किया जाना है।	Rs.45,000/- रु. 4,05,000 -
/	अंतिम संस्कार और परिवहन शुल्क के लिए मुआवजा	5, 000/- रुपये
/	संपत्ति के हानि के लिए मुआवजा	5, 000/- रुपये
/	कंसोर्टियम के नुकसान के लिए मुआवजा	5, 000/- रुपये
	मुआवजे की कुल राशि	रुपये. 4,33,000/ -

/

/

/

/

3. यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा अपील में लिया गया था जो राम किशन और प्रतिवादी नं.3 उन्हें इस राय पर बढ़े हुए मुआवजे का पुरस्कार दिया गया कि गुणक नौ के बजाय तेरह होना चाहिए था और न्यायाधिकरण भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि नहीं देने में गलत था।

4. इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिए गए मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 6,55,000-7.5% ब्याज पर दी जाने वाली राशि के साथ।उच्च न्यायालय द्वारा गुणक परिवर्तन की अनुमति दी गई थी क्योंकि मृतक की आयु गलत तरीके से 60 दर्ज की गई थी जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर 50 वर्ष पाई गई थी।उच्च न्यायालय ने भी ब्याज की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी है।

/

/

5. उच्च न्यायालय ने उचित रूप से मुआवजे का आदेश दिया है और उच्च न्यायालय के आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

/

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)

/

/

/

/